न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, गोण्डा।
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्याः–312/2022
सुशीला उर्फ शीला बनाम अशोक कमार मिश्र आदि

दिनंक–16.11.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 प्रार्थिनी सुशीला उर्फ शीला द्वारा विपक्षीगण अशोक कुमार मिश्र, डबलू मिश्र, राघवराम मिश्र व राम प्रकाश मिश्र के विरूद्ध सम्बन्धित थाना वजीरगंज, जिला गोण्डा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग थाने पर पंजीकृत नहीं है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 के अनुसार प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की मजदूरी पेशा महिला है। घटना दिनांक–27.4.2022 को समय 08.30बजे रात्रि की है, गेहूँ की मड़ाई के विवाद को लेकर विपक्षीगण अशोक कुमार मिश्र, डबलू मिश्र, राघवराम मिश्र व राम प्रकाश मिश्र एक राय होकर प्रार्थिनी को कारी हरामजादी जाति सूचक व मॉ बहन की भद्दी–भददी गालियां देते हुये लात मूका थप्पड़ व लाठी से मारने लगे। प्रार्थिनी अपनी जान बचाने के लिये अपने घर में भागी तो विपक्षीगण घर में घुस कर मारे पीटे तथा घर का सामान तोड़ दिये। प्रार्थिनी को बचाने उसकी जेठानी आयी तो उसे मारे पीटे और प्रार्थिनी का मंगल सूत्र छीन लिया। हल्ला गोहार पर तमाम लोग इकट्ठा हो गये तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। प्रार्थिनी घटना की सूचना थाने पर दिया, किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो प्रार्थिनी ने घटना के बाबत प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया, वहा से भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 न्यायालय में देकर याचना किया कि उसका मुकदमा दर्ज करा कर विवेचना करायी जाय।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण से गेहूँ की मड़ाई का विवाद होने के कारण जाति सूचक गालियां व जान से मारने की धमकी देने प्रार्थिनी व उसके जेठानी को लाठी डन्डा व लात मूका से मारे पीटे जाने की बात कही गयी है। प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों की जानकारी प्रार्थिनी को है। वह अपने तथा अपने साक्षियों के बयान से अपने मामले को साबित कर सकती है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्ड पीठ के निर्णय–**सुखबासी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59)ए0 सी0सी0पेज 739** में यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 में दिये गये तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना किये जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो, मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में व्यवहरित कर सकता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय **मोना पवार प्रति माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार 2011(2) ए0एल0जे0 पेज नं0–1691** के निर्णय में दिये गये विधि व्यवस्था के आलोक में एवं सम्बन्धित थाना की आख्या एवं प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अन्तर बस्तुओं के आलोक में मेरी राय में इस प्रकार के सभी तथ्यों की जानकारी प्रार्थिनी को है। सभी साक्ष्य प्रार्थिनी के संज्ञान में नियन्त्रण में है, जिन्हे प्रार्थिनी स्वयं प्रस्तुत करके अपने केस को साबित कर सकती है। इसलिये विवेचना कराये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी सुशीला उर्फ शीला का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में व्यवहरित किया जाता है, दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्तें बयान परिवादिनी धारा–200 दं0प्र0सं0 हेतु दिनांक–20.12.2022 को पेश हो।

दिनांक–16.11.2022

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
गोण्डा।

Digitally signed by Nasir Ahmad
Date: 2022.11.18 15:47:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court